

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/Online /इंडक्शन/2023/

दिनांक फरवरी, 2024

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन इंडक्शन/ओरियन्टेशन/ऑफलाईन कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/126 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन एफ. इंडक्शन/ओरियन्टेशन कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	अंकुर कोठारी	संस्कृत	राज.कन्या.महा., डूंगरपुर	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	21.02.2024 से 19.03.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2	आदित्य त्रिवेदी	ईएफएम	राज.महा., बांसवाड़ा	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	21.02.2024 से 19.03.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
3	तन्वी खुराना	गृह विज्ञान	राज.कन्या महा., बून्दी	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	21.02.2024 से 19.03.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4	सोनाली शर्मा	गृहविज्ञान	राज.कन्या महा., बांरा	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	21.02.2024 से 19.03.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5	हर्षित शर्मा	भौतिक शास्त्र	राज.कन्या महा., झालावाड़	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	21.02.2024 से 19.03.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6	चक्रवर्ती सिंह	राज. विज्ञान	राज.महा., आहोर	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	21.02.2024 से 19.03.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

- प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
- संबंधित सह/सहायक आचार्य ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि:-

- वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

RajKaj Ref
5555443



राजस्थान निदेशक (अकादमिक)
Signature valid

Digitally signed by Amit Sharma
Designation: Professor
Date: 2024.02.09 17:58:23 IST
Reason: Approved